

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 911 OF 2024

IN THE MATTER OF:

VIKASH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1-3
2.	<b>ANNEXURE 1:</b> A true copy of the letter dated 20.09.2024	4-5
3.	<b>ANNEXURE 2:</b> A true copy of letter dated 24.10.2024 sent by UPPCB to Jhansi Development Authority	6

THROUGH

DATE: 25.10.2024

PLACE: NEW DELHI



STHAVI ASTHANA  
ADVOCATE FOR UPPCB  
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,  
NEW DELHI-110021  
(M): 9711116034  
(E): [STHAVIASTHANA@GMAIL.COM](mailto:STHAVIASTHANA@GMAIL.COM)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 911 OF 20**

**IN THE MATTER OF:**

**VIKASH**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.**


**.....APPLICANT**  
**...RESPONDENTS**



**Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board,  
in compliance with the order dated 29.07.2024 passed by the  
Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi**

I, Deepa Arora W/o Shri Rakesh Arora aged about 59 years, R/o B-13, Sector-12, Noida, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Regional Officer, of Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"). I say that I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter "Hon'ble Tribunal") vide its order dated 29.07.2024 in the captioned matter had issued notice to the Respondents.




*Deepa*

3. That the Secretary to Govt of UP, Department of Environment, Forests and Climate Change has written to the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government of UP, Department of Housing and Town Planning and Department of Urban Development, the Principal Chief Conservator of Forests cum Head of Department and District Magistrate, Jhansi vide letter dated 20.09.2024, with directions to take necessary action and file response before the Hon'ble Tribunal, with a copy to the Member Secretary, UPPCB.

A true copy of the letter dated 20.09.2024 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE 1**.

4. That since the present OA deals with the issue of encroachment and unauthorized construction, UPPCB has written to Jhansi Development Authority vide letter dated 24.10.2024 asking for information regarding unauthorized construction in the concerned areas.

A true copy of letter dated 24.10.2024 sent by UPPCB to Jhansi Development Authority is annexed hereto and marked as **ANNEXURE 2**.



*Deepa*

- 5. That the annexures produced along with the present response are true and correct to the best of my knowledge and belief on the basis of the records.
- 6. That the above response of Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

*Deepa*  
25-10-24

**DEPONENT**

**VERIFICATION:**

Verified at Jhansi on this 25<sup>th</sup> day of October, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

*Deepa*  
25-10-24

**DEPONENT**



Serial No. .... 1310/24  
 Certified that the foregoing statement  
 sworn before me this day at  
 by Shri/Smt./Kun *Deepa Dwivedi*  
 to whom the contents of the affidavit have  
 been read over and explained and who  
 is identified by Shri *Saty*  
 Received the legal fee Rs. 25.00 each

25/10/2024  
 RAJESH DWIBEDI  
 ADVOCATE  
 NOTARY JHANSI DISTRICT

उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE 1

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या-एन.जी.टी.-524/81-7-2024

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2024

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन/  
नगर विकास विभाग, उओप्रओ शासन।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उओप्रओ, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी,  
झांसी।

कृपया माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओओएओ संख्या-911/2024 विकास बनाम उओप्रओ राज्य व अन्य में पारित माओ अधिकरण के आदेश दिनांक 29.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

*".....4. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.*

*5. List on 04.11.2024."*

2- अवगत कराना है कि पत्र याचिका के माध्यम से दायर मूल आवेदन में आवेदक ने शिकायत की है कि मौजा पिछोर, जिला झांसी में आराजी संख्या-11, 12, 15, 21, 22, 23, 75, 79 आदि को झांसी महयोजना, 2021 में नगर पार्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आराजी संख्या-17 एवं 24 राजस्व अभिलेखों में नाली तथा पत्थर के अनधिकृत निर्माण के रूप में दर्ज हैं, परन्तु कुछ लोग आधिकारिक प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत करके उस भूमि पर अवैध रूप से ग्रीन वैली कॉलोनी विकसित कर रहे हैं एवं, आराजी संख्या-23 में पेट्रोल पंप स्थापित कर रहे हैं। आवेदक द्वारा अतिक्रमण एवं पार्क की भूमि को आवासीय ब्लॉकों में बदलने से रोकने आदि की प्रार्थना की गयी है।

इस संबंध में माओ अधिकरण द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत की गयी है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 Principal Secretary, Urban Development Government of Uttar Pradesh, प्रतिवादी संख्या-5 Principal Secretary Housing & Urban Development Government of Uttar Pradesh, प्रतिवादी संख्या-7 District Magistrate, Jhansi Collectorate Jhansi, U.P., प्रतिवादी संख्या-

8 Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi, U.P. एवं प्रतिवादी संख्या-9 Municipal Commissioner of Nagar Nigam Jhansi हैं।

3- अतः इस संबंध में कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 20.08.2024 तथा आवेदक, श्री विकास पुत्र श्री चंदन सिंह, 153 पिछोर, झाँसी के ई-मेल पत्र दिनांक 28.08.2024 द्वारा प्रेषित नोटिस की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने/रिस्पान्स मा0 अधिकरण में दाखिल करते हुए दाखिल किये गये रिस्पान्स की प्रति सहित कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvusp@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by

Ashish Tiwari

Date: 20-09-2024 16:03:56

( आशीष तिवारी )

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 20.08.2024 तथा आवेदक, श्री विकास पुत्र श्री चंदन सिंह, 153 पिछोर, झाँसी के ई-मेल पत्र दिनांक 28.08.2024 द्वारा प्रेषित नोटिस की छायाप्रति संलग्नक सहित उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलायुक्त, झाँसी।
- 2- उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
- 3- नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
- 4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,

( देवेन्द्र सिंह चौहान )

अनु सचिव।



ANNEXURE 2  
ANNEXURE 2  
क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० .....  
Ref. No. .... 501/OA-911/24

दिनांक 24.10.2024  
Date.....20

सेवा में,

सचिव  
झांसी विकास प्राधिकरण  
झांसी।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-911/2024 विकास बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुपालन सम्बन्ध में महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-911/2024 विकास बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याचिका के माध्यम से दायर इस मूल आवेदन में, आवेदक ने दलील दी है कि मौजा पिछोर, जिला झांसी में आराजी संख्या 11, 12, 15, 21, 22, 23, 75, 79 आदि को झांसी महायोजना 2021 में नगर पार्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आराजी संख्या 17 और 24 राजस्व अभिलेखों में नाली और पत्थर के अनधिकृत निर्माण के रूप में दर्ज हैं। लेकिन कुछ लोगो द्वारा उस भूमि पर अवैध रूप से ग्रीन वैली कॉलोनी विकसित कर रहे हैं और आराजी संख्या 23 में पेट्रोल पंप स्थापित कर रहे हैं।

अतः आप से अनुरोध है कि मैसर्स ग्रीन वैली कॉलोनी, झांसी को झांसी विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त है या नहीं एवं आराजी संख्या 11, 12, 15, 21, 22, 23, 75, 79 आदि पर अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित कोई सूचना हो तो शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अगली सुनवाई तिथि दिनांक 04.11.2024 को अवगत कराया जा सकें।

भवदीया

*[Signature]*  
24.10.24

(दीपा अरोरा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

*[Signature]*  
24/10/24

क्षेत्रीय अधिकारी